

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 460] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 1983/अग्रहायण 9, 1905
No. 460] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 30, 1983/AGRAHAYANA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1983

सीमा-शुल्क

सां० कां० निं० 871(अ) --केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम,
1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा
करना आवश्यक है, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की
अधिसूचना संख्या 232-सीमाशुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1979 में निम्नलिखित
और संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 23 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)
“23. डाने लवण जो ऐमाक्सीलीन डी(—)पैरा हाइड्रॉक्सी फेनिल ग्लाइसिन ऐथिल या मेथिल पोटैशियम लवण के विनिर्माण के लिए अपेक्षित है।”	

[फा० सं० 346/21/83-टीआरयू]

कै० एम० वेंकटगिरि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 318/83-Customs

New Delhi, the 1st December, 1983

G. S. R. 872(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 64-Customs, dated the 6th March, 1979, namely :—

In the Table annexed to the said notification, for Serial No. 23 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be substituted, namely :—

(1)	(2)
“23. Dane Salt required for manufacture of Amoxycillin D (—) Para Hydroxy Phenyl Glycine Ethyl or Methyl Potassium Salt”.	

[F. No. 346/21/83-TRU.]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.